भारत सरकार

खान मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.355**

दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

**खानों का संरक्षण और विकास**

355 श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की खानों के विकास और विशेषकर उन्हें सम्पूर्ण देश में पट्टे पर देने तथा राज्यों को खनिजों से संबंधित छूट प्रदान करने में क्या भूमिका है;

(ख) क्या भारतीय खान ब्यूरो और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम खानों के संरक्षण और विकास के कार्य को विनियमित करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) झारखंड में मौजूदा खानों का जिला-वार और खान-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान सीएसआर शीर्ष के अंतर्गत उक्त खानों में कार्यरत श्रमिकों हेतु कल्याण कार्य और आस-पास के क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): संसद ने खानों और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रावधान करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएमडीआर अधिनियम, 1957] बनाया है। खनिज रियायतें एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं।

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के तहत जिन खनिजों को गौण खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट या अधिसूचित किया गया है, उनके लिए राज्य सरकारों को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

(ख) और (ग): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार को भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ नियम बनाने का

अधिकार दिया गया है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 बनाये हैं, जिन्हें भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आईबीएम के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) खनन योजनाओं का प्रसंस्करण और अनुमोदन जिसमें व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के प्रस्ताव शामिल हैं।

(ii) निरीक्षण, सांविधिक विवरणियों और डिजिटल छवियों के विश्लेषण के माध्यम से पट्टा क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों की निगरानी और विनियमन।

(iii) खानों की स्टार रेटिंग के माध्यम से सतत् खनन पद्धतियां सुनिश्चित करना।

(घ): खान मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, झारखंड में आज की तारीख में प्रमुख खनिजों की खानों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **जिला** | **खानों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | गुमला | 25 |
| 2 | लातेहार | 3 |
| 3 | लोहरदगा | 16 |
| 4 | पलामू | 11 |
| 5 | रामगढ़ | 4 |
| 6 | रांची | 4 |
| 7 | सरायकेला-खरसावां | 2 |
| 8 | पूर्वी सिंहभूम | 8 |
| 9 | पश्चिमी सिंहभूम | 26 |
| **कुल** | | **99** |

(ङ): कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत आते हैं, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। विभिन्न राज्यों में कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर कार्यों का ब्यौरा सीएसआर पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे https://www.csr.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

*****